

प्रेषक,

श्री राम किशोर,  
अनु सचिव,  
३० प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
जिला नगरीय विकास अभिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोड़गार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग,

विषय : संचालित योजनाओं के अंतर्गत टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय में पारदर्शिता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, वित्त (लेखा) अनुभाग-१, ३०प्र० शासन के पत्र संख्या-ए-१-११७३/दस-२००१-१०(एस.एस.)/२०००, दिनांक २७ अप्रैल, २००१ की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दृढ़ा स्तर पर क्रियान्वित योजनाओं के अंतर्गत आमंत्रित किये जाने वाले टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय में पारदर्शिता लाय जाने के उद्देश्य से वित्त विभाग द्वारा निर्मित शासनादेश के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय करने में की गई अनियमितता को शासन द्वारा गम्भीरता से लिया जायेगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
(राम किशोर)  
अनु सचिव

संख्या : 9083/69-1-2001-23(सा)/2000 टी.सी., तद् दिनांक।

वित्त विभाग के उपर्युक्त आदेश दि० २७-४-२००१ की प्रति सहित प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
- 2- समस्त परि० निदेशक/परि० अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०।
- 3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(राम किशोर)  
अनु सचिव